बाजार	सेंसेक्स ↓	निफ्टी ↓
बंद हुआ	85,041.45	26,042.30
गिरावट	367.25	99.80
प्रतिशत में	0.43	0.38

सोना 1,42,300 प्रति 10 ग्राम

चांदी 2,36,350 प्रति किलो

अमृत विचार

बरेली, शनिवार ,27 दिसंबर 2025

www.amritvichar.com

कारोबार

बरेली मंडी

वनस्पति तेल तिलहन : तुलसी 2550, राजश्री 1800, फ़ॉर्चून कि. 2245, रविन्द्रा 2445, फॉर्चुन 13 किग्रा 1975, जय जवान 1990, सचिन 2020, सूरज 1990, अवसर 1875, उजाला 1910, गृहणी 13 किग्रा 1870, क्लासिक (किग्रा) 2155, मोर 2185, चक्र टिन 2315, ब्लू 2100, आशीर्वाद मस्टर्ड 2330, स्वास्तिक 2505

किराना : हल्दी निजामाबाद 17000, जीरा 24500, लाल मिर्च 14000-18000, धनिया 9400-12000, अजवायन 13500-20000, मेथी 6000-8000 सौंफ 9000-13000, सोंठ 31000, (प्रतिकि.) लौंग 800-1000, बादाम 780-1080, काजू 2 पीस 840, किसमिस पीली 300-400, मखाना 800-1100

चावल प्रति कु. : डबल चाबी सेला 9600, स्पाइस 6500, शरबती कच्ची 4850, शर्बती स्टीम 5200, मंसूरी 4000, महबूब सेला 4050, गौरी रॉयल 8200, राजभोग 6850, हरी पत्ती (1 किग्रा 5 किग्रा) 10100, हरी पत्ती नेचुरल 9100, जेनिथ 8400, गलैक्सी 7400, सूमो 4000, गोल्डन सेला 7900, मंसूरी पनघट 4350,लाडली 4000

दाल दलहन : मूंग दाल इंदौर 9800, मूंग धोवा 10000, राजमा चित्रा 12000-13400, राजमा भूटान नया 10100, मलका काली, 7250-7450 मलका दाल, 7350-9200, मलका छांटी 7250, दाल उड़द बिलासपुर 7800-8500, मसूर दाल छोटी 10000-11600, दाल उड़द दिल्ली 10300, उड़द साबुत दिल्ली 9900, उड़द धोवा इंदौर 11800, उड़द धोवा 9800-10400,चना काला 7150, दाल चना 7250, दाल चना मोटी 7200, मलका विदेशी 7200, रूपकिशोर बेसन 7700, चना अकोला 6600, डबरा 6700-8800, सच्चा हीरा 8500, मोटा हीरा 9900, अरहर गोला मोटा 7700, अरहर पटका मोटा 8000, अरहर कोरा मोटा 8500, अरहर पटका छोटा 10000-10600, अरहर कोरी छोटी 11000

चीनी : पीलीभीत 4280, बहेड़ी 4220

हल्द्वानी मंडी

चावल : शरबती- 3300, मसूरी- 950, बासमती- 5400, परमल- 1100

दाल दलहन : काला चना- 2700, साबुत चना दाल- 2400, मूंग साबुत- 4100, राजमा- 8400-12100, दाल उड़द- 6000, साबुत मसूर दाल- 3200, मसूर दाल- 3000, उड़द साबुत- 5300, काबुली चना- 8000, अरहर दाल- 10000, लोबिया/करमानी- 1400

वैश्विक प्रतिबंधों के दबाव में अगरबत्ती में कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक

लोगों के स्वास्थ्य और घरों के अंदर वायु गुणवत्ता को लेकर किया गया फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी

विश्व में अगरबत्ती का सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक भारत ने उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया गुणवत्ता मानक निर्धारित किया है जिसके तहत अगरबत्ती निर्माण में कुछ कीटनाशक रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कदम से करीब 8,000 करोड़ रुपये के अगरबत्ती बाजार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इसके तहत उपभोक्ता सुरक्षा, घर के अंदर वायु गुणवत्ता, पर्यावरणीय स्थिरता और नियामकीय अनुपालन पर बढ़ते जोर के मद्देनजर अगरबत्तियों के लिए एक अलग से भारतीय मानक 'आईएस 19412:2025' विकसित किया गया है। यह मानक कुछ सुगंधित यौगिकों और रसायनों पर वैश्विक स्तर पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, नए मानक का अनुपालन करने वाले उत्पाद बीआईएस मानक चिन्ह भी ले सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को आत्मविश्वास के साथ सूचित विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।

मंत्रालय ने कहा, इससे उपभोक्ता विश्वास बढ़ेगा, नैतिक और टिकाऊ विनिर्माण पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा, पारंपरिक कारीगरों को समर्थन मिलेगा और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बेहतर होगी। लगभग 8,000 करोड़ रुपये वार्षिक आकार वाले भारतीय अगरबत्ती उद्योग से हर साल 1,200 करोड़ रुपये मूल्य की अगरबत्तियों का निर्यात होता है। भारत अमेरिका, मलेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील और मेक्सिको सहित 150 से अधिक देशों को अगरबत्तियां निर्यात करता है। नए गुणवत्ता मानक के तहत अगरबत्तियों को मशीन निर्मित, हाथ से बनी और पारंपरिक मसाला अगरबत्ती की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कच्चे माल, जलने की गुणवत्ता, सुगंध प्रदर्शन और रासायनिक मानकों से जुड़ी आवश्यकताएं तय की गई हैं, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और समान गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सकें।

- विश्व में अगरबत्ती का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, 150 देशों में करता है निर्यात

इन रसायनों का प्रयोग किया गया है निषिद्ध

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अगरबत्ती में उपयोग के लिए निषिद्ध पदार्थों की एक सूची भी तय की है। सूची में एलेथ्रिन, पर्मेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन और फिप्रोनिल जैसे कुछ कीटनाशक रसायन शामिल हैं। इसके अलावा बेंजिल सायनाइड, एथिल एक्रिलेट और डाइफिनाइल एमीन जैसे कृत्रिम सुगंध मध्यवर्ती रसायनों पर भी रोक लगाई गई है। मंत्रालय के अनुसार, इन पदार्थों में से कई मानव स्वास्थ्य, घर के अंदर वायु गुणवत्ता और पर्यावरणीय सुरक्षा पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हैं।

सेंसेक्स में 367 अंकों की गिरावट, निफ्टी 100 अंक फिसला

मुंबई। विदेशी पूंजी की निकासी और घरेलू स्तर पर कोई बड़ा सकारात्मक संकेत न होने के कारण शुक्रवार को स्थानीय मानक बीएसई सेंसेक्स 367 अंक गिरकर बंद हुआ जबकि निफ्टी 100 अंकों के नुकसान में रहा।

बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 367.25 अंक यानी 0.43 प्रतिशत गिरकर 85,041.45 अंक पर बंद हुआ जो इसकी गिरावट का लगातार तीसरा सत्र रहा। कमजोर कारोबार के बीच एक समय यह 470.88 अंक टूटकर 84,937.82 के स्तर तक आ गया था। एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी 99.80 अंक यानी 0.38 प्रतिशत गिरकर 26,042.30 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी लगातार दूसरे दिन नुकसान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स

चांदी की चमक और तेज, 2.36 लाख रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर

नई दिल्ली, एजेंसी

मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में चांदी का भाव शुक्रवार को 9,350 रुपये बढ़कर 2,36,350 रुपये किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक बुधवार को भाव 2,27,000 रुपये किलो रहा था। पिछले चार कारोबारी सत्रों में इसमें 32,250 रुपये यानी 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस साल चांदी की कीमत 31 दिसंबर, 2024 को 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम रही थी और तब से इसमें 1,46,650 रुपये यानी 163.5 प्रतिशत की तेजी आई है। इस बीच, सोने की कीमतों ने स्थानीय सर्राफा बाजार में तेजी बरकरार रखी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,500 रुपये बढ़कर सभी करों सहित 1,42,300 रुपये 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यह पिछले कारोबारी सत्र में 1,40,800 रुपये पर बंद हुई थी। इस साल अब तक, सोने का भाव 31 दिसंबर, 2024 को दर्ज 78,950 रुपये 10 ग्राम से 63,350 रुपये यानी 80.24 प्रतिशत बढ़ा है।

- पिछले चार कारोबारी सत्रों में हुई 32,250 रुपये की भारी वृद्धि

विदेशी मुद्रा भंडार 4.37 अरब डॉलर बढ़ा, स्वर्ण भंडार रिकॉर्ड स्तर पर

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 4.368 अरब डॉलर बढ़कर दो महीने के उच्चतम स्तर 693.318 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह लगातार तीसरा सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। इससे पहले 12 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में इसमें 1.689 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी और यह 688.949 अरब डॉलर पर रहा था। रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का दूसरा सबसे बड़ा घटक स्वर्ण भंडार 2.623 अरब डॉलर बढ़कर 110.365 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर रहा। आलोच्य सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 1.641 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 559.428 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

आंध्र में वेदांता को 20 तटीय तेल और गैस कुएं खोदने को एनओसी

अमरावती, एजेंसी

आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा जिले में 20 तटीय तेल और गैस कुएं खोदने के लिए वेदांता लिमिटेड (केयर्न ऑयल एंड गैस डिवीजन) को सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया है। आदेश के अनुसार यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल सिंचाई के दृष्टिकोण से जारी किया गया है और पूरी तरह अस्थाई प्रकृति का है। आवेदक को काम शुरू करने से पहले संबंधित विभागों से सभी आवश्यक अनुमतियां निर्धारित मानकों के अनुसार प्राप्त करनी होंगी।

हालिया सरकारी आदेश के अनुसार वेदांता लिमिटेड ने एक आवेदन देकर कहा था कि उसकी कंपनी को खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति, 2018 के तहत तटीय तेल और गैस क्षेत्र के विकास का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, कंपनी ने 35 स्थानों पर तटीय तेल और गैस के विकास और उत्पादन के लिए कुएं खोदने के लिए आंध्र प्रदेश के जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का अनुरोध किया था, क्योंकि प्रस्तावित ब्लॉक के बीच से बंदर नहर गुजरती है। आदेश में कहा गया, मामले की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, सरकार की ओर से शर्तों के अधीन मुंबई स्थित वेदांता लिमिटेड (केयर्न ऑयल एंड गैस डिवीजन) को 20 कुएं खोदने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

- कृष्णा जिले में खोदे जाएंगे तेल और गैस के कुएं, सरकार ने दी सशर्त मंजूरी

छोटे उद्योगों पर बकाया कर्ज 46 लाख करोड़ रुपये हुआ

नई दिल्ली। छोटे उद्योगों पर बकाया कुल कर्ज बढ़कर 46 लाख करोड़ रुपये हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 सितंबर तक इसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सीआरआईएफ हाई मार्क - सिडबी की रिपोर्ट में कहा गया कि सक्रिय ऋण खातों की संख्या 11.8 प्रतिशत बढ़कर 7.3 करोड़ हो गई है।

नीतिगत समर्थन और एमएसएमई (छोटे एवं मझोले उद्यम) के लिए सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं ने इस गति को बनाए रखने में मदद की है। रिपोर्ट में कहा गया कि विभिन्न श्रेणियों में पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ऐसे में 91 से 180 दिनों तक की देरी वाले ऋण सितंबर 2025 तक घटकर लगभग 1.4 प्रतिशत रह गए, जो सितंबर 2023 में 1.7 प्रतिशत थे। उद्यमों का जोखिम प्रोफाइल लगातार कम बना हुआ है। एकल स्वामित्व वाले कारोबारों में भी स्थिर सुधार देखा गया है और सितंबर 2023 से सितंबर 2025 के बीच बहुत कम और कम जोखिम वाले उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी बढ़ी है।

नीदरलैंड के लोगों ने टाटा स्टील से मांगा 1.4 अरब यूरो का हर्जाना

मुंबई, एजेंसी

नीदरलैंड के वेल्सन-नूरड के निवासियों ने टाटा स्टील पर स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए 1.4 अरब यूरो (लगभग 148 अरब रुपये) के हर्जाने की मांग के लिए मुकदमा दायर किया है। नेल्सन-नूर्ड के निवासियों के संगठन स्टिचिंग फ्रिस विंड.एनयू (एसएफडब्ल्यू) ने हारलेम स्थित उत्तरी हॉलैंड की जिला अदालत में यह केस दायर किया है।

अदालत की ओर से मामले में टाटा स्टील नीदरलैंड बीवी और टाटा स्टील

- कंपनी के संयंत्रों के कारण स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने का लगाया आरोप

इजमुदेन को समन जारी किए गए हैं। टाटा स्टील ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। आरोप है कि कंपनी के संयंत्रों के कारण स्थानीय निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ गये हैं। टाटा स्टील ने कहा है कि एसएफडब्ल्यू ने आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे उसके दावों में तथ्यों की कमी है और ये सिर्फ कल्पना पर आधारित हैं। याचिका सार्वजनिक दावों के सामूहिक निपटान संबंधी डच कानून (डब्ल्यूएएमसीए) के तहत दायर की गई है।

कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया है कि इसके तहत दो चरणों में सुनवाई पूरी होती है। पहला चरण मामले की स्वीकार्यता का होता है और दूसरे चरण में उसके गुण-दोष पर विचार किया जाता है। दोनों चरणों में अलग-अलग दो-तीन साल का समय लगता है। इसलिए, आने वाले समय में (पहले चरण के दौरान) हर्जाने की राशि पर अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। टाटा स्टील ने कहा है कि वह एसएफडब्ल्यू द्वारा मुहैया कराए गए दस्तावेजों का अध्ययन कर रही है।

राष्ट्रीय

दुष्कर्म के दोषी सेंगर की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पर प्रदर्शन

उन्नाव बलात्कार मामला: जमानत रद्द करने की मांग करते हुए की जमकर नारेबाजी

नई दिल्ली, एजेंसी

उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को यहां दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एआईडीडब्ल्यूए) के बैनर तले हुए इस विरोध प्रदर्शन में संगठन की कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और पीड़िता की मां ने भी हिस्सा लिया और सेंगर को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की। इस दौरान दुष्कर्म पीड़िता की मां ने कहा कि वह सेंगर की सजा को निलंबित करने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगी।

पीड़िता की मां ने कहा कि वह अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ हाईकोर्ट के बाहर विरोध जताने आई हैं। उन्होंने कहा, मैं पूरे उच्च न्यायालय को दोष नहीं देती, लेकिन दो न्यायाधीशों के फैसले से हमारा भरोसा टूट गया है और मुझे गहरा आघात पहुंचा है। पहले न्यायाधीशों ने उनके परिवार को न्याय दिलाया था, लेकिन अब आरोपी को जमानत दे दी गई है। पीड़िता की मां ने कहा, यह हमारे परिवार के साथ अन्याय है। हम उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे, मुझे उस पर पूरा विश्वास है।

हाईकोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर लिखा था, 'कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा बरकरार रहे' और 'महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा।' उन्होंने 'बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो' और 'गुनहगारों को बचाना बंद करो' जैसे नारे भी लगाए। इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, भाजपा सरकार या अदालत उन्हें जमानत कैसे दे सकती है, उन्हें उनकी जमानत याचिका खारिज करनी होगी, नहीं तो इस सरकार को सत्ता से बाहर जाना होगा। एक महिला ने कहा, यह कोई संयोग नहीं है कि अदालती छुट्टियों से ठीक दो दिन पहले जमानत दी गई। यह एक सोचीसमझी चाल है। इस देश के नागरिक मूर्ख नहीं हैं। कब तक वे हमें धोखा देते रहेंगे।

सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, उसने एक लड़की का बलात्कार किया और उसके पिता की हत्या कर दी, जिसके कारण वह (पीड़िता) अब भी इस हालत में है। बलात्कारी को संरक्षण देना बंद करो और पीड़ितों की रक्षा करो। जब मना करने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने विरोध जारी रखा तब दिल्ली पुलिस ने लाउडहेलर के जरिए घोषणा की कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पुलिस ने उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। कहा, यहां प्रदर्शन करना प्रतिबंधित और गैरकानूनी है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो जंतर-मंतर जाएं।

दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर इकट्ठे प्रदर्शनकारी और मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स।

- पीड़िता की मां ने की मां का शीर्ष अदालत जाने की घोषणा

मध्यस्थता कानून के बेहद विकसित होने का संकेत: सीजेआई

पणजी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मध्यस्थता कानून के कमजोर होने का नहीं बल्कि बेहद विकासित होने का संकेत है। सीजेआई दक्षिण गोवा के सांकोले गांव में शुक्रवार को भारतीय अंतरराष्ट्रीय विधि शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सम्मेलन 'मध्यस्थता: वर्तमान संदर्भ में इसका महत्व' को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा, मध्यस्थता न्यायिक निर्णय की संस्कृति से सहभागिता की संस्कृति की ओर बढ़ना है, जहां हम सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे न्यायालय की कल्पना करते हैं जहां न्यायालय केवल मुकदमे की सुनवाई का स्थान न हो बल्कि विवाद समाधान का एक व्यापक केंद्र हो। इससे पहले दिन में सीजेआई ने पणजी में कला अकादमी के पास 'मध्यस्थता जागरूकता' के लिए एक प्रतीकात्मक पदयात्रा में भाग लिया।

लखनऊ-अयोध्या समेत 48 स्टेशनों को भीड़भाड़ से मुक्त कराने की योजना

पांच साल में बढ़ेंगी अतिरिक्त प्लेटफॉर्म समेत कई सुविधाएं

नई दिल्ली, एजेंसी

रेलवे ने व्यस्त स्टेशनों को भीड़भाड़ से मुक्त करने और यात्री सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 2030 तक 48 प्रमुख शहरों में ट्रेनों की शुरुआती क्षमता को लगभग दोगुना करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में इन स्टेशनों पर क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा ताकि आने वाले वर्षों में यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिले।

यह योजना कार्यों को तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक समेत तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं के साथ बढ़ाया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्र और उसके आसपास नए टर्मिनलों की पहचान करना और बनाना, रखरखाव सुविधाएं, जिसमें मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स शामिल हैं और यात्री सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग अपग्रेडेशन और विभिन्न बिंदुओं पर बढ़ी हुई ट्रेनों को संभालने के लिए आवश्यक मल्टीट्रैकिंग के साथ लाइन क्षमता बढ़ाना भी शामिल होगा।

स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने की योजना बनाते समय उसके आसपास के स्टेशनों पर भी विचार किया जाएगा ताकि क्षमता समान रूप से संतुलित हो। उपरोक्त अभ्यास उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों तरह के ट्रैफिक के लिए किया जाएगा, जिसमें दोनों सेगमेंट की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। इस योजना में ट्रेनों को संभालने की क्षमता को समय पर दोगुना करने के लक्ष्य को पाने के लिए प्लान किए गए, प्रस्तावित या पहले से मंजूर काम शामिल होंगे।

इन शहरों के स्टेशन शामिल होंगे योजना में

इस योजना में शामिल स्टेशनों में दिल्ली, जम्मू, मुंबई (मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे), जोधपुर, कोलकाता (पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, कोलकाता मेट्रो), जयपुर, चेन्नई, वडोदरा, हैदराबाद, सूरत, बेंगलुरु, मडगांव, अहमदाबाद, कोचीन, पटना, पुरी, लखनऊ (उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे), भुवनेश्वर, पुणे, विशाखापत्तनम, नागपुर (मध्य रेलवे, एसईसीआर), विजयवाड़ा, वाराणसी (उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे), तिरुपति, कानपुर, हरिद्वार, गोरखपुर, गुवाहाटी, मथुरा, भागलपुर, अयोध्या, मुजफ्फरपुर, आगरा, दरभंगा, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया, चंडीगढ़, मैसूर, लुधियाना, कोयंबटूर, अमृतसर, टाटानगर, इंदौर, रांची, भोपाल, रायपुर, उज्जैन और बरेली हैं।

बच्चों के इंटरनेट उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए केंद्र सरकार

मदुरै, एजेंसी

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने व्यवस्था दी है कि केंद्र सरकार बच्चों के इंटरनेट का उपयोग किए जाने को विनियमित करने के लिए उसी तरह एक कानून बनाने पर विचार कर सकती है, जैसा कानून आस्ट्रेलिया में बनाया गया है। अदालत ने कहा कि जब तक ऐसा कोई कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों में बाल अधिकारों और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर सकता है।

अदालत की ओर से सुझाए गए ढांचे का उद्देश्य 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने से रोकना है, क्योंकि नाबालिगों के हानिकारक ऑनलाइन सामग्री के संपर्क में आने की आशंका है। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और न्यायमूर्ति केके रामकृष्णन की

- ऑस्ट्रेलिया में लगे प्रतिबंध का हवाला देते हुए मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने दिया निर्देश

खंडपीठ ने हाल ही में ये टिप्पणियां तब कीं जब याचिकाकर्ता एस विजयकुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील केपीएस पलानीवेल राजन ने नए ऑस्ट्रेलियाई कानून का हवाला दिया, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही पीठ ने कहा कि भारत भी इसी तरह का कानून लाने पर विचार कर सकता है।

विजयकुमार ने जनहित याचिका दायर कर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पेरेंटल विंडो सेवा प्रदान करने का निर्देश देने और अधिकारियों के माध्यम से बच्चों में जागरूकता पैदा करने को कहा। राजन ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त राहत इसलिए मांगी है क्योंकि अश्लील सामग्री आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध है।

दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल, एयर प्यूरीफायर पर क्यों नहीं घटा सकते जीएसटी

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए आम आदमी के लिए एयर प्यूरीफायर को किफायती बनाने के लिए उस पर लगने वाले जीएसटी को क्यों नहीं घटाया जा सकता। हाईकोर्ट ने केंद्र के समक्ष यह प्रश्न तब उठाया जब केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने यह तर्क दिया कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है और यह अब दिल्ली का एकतरफा कर नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह पूरे भारत में लागू संघीय कर है, इसलिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहमति आवश्यक है और इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने कहा कि मतदान प्रत्यक्ष तौर पर होना है और यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस मामले में एक अत्यंत विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करेगी।

पश्चिम बंगाल: होटलों में बांग्लादेशी नागरिकों के ठहरने पर रोक

कोलकाता, एजेंसी

पश्चिम बंगाल के होटल मालिकों के एक संगठन ने पड़ोसी बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के मद्देनजर सिलीगुड़ी और उसके आसपास के इलाकों में बांग्लादेशी नागरिकों को ठहरने की सुविधा देने पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला किया है। मालदा सहित कई और शहरों में ऐसा ही प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है।

'ग्रेटर सिलीगुड़ी होटलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन' की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, यह निर्णय उन घटनाओं से जुड़ा है, जिनसे भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव आया है, जिसमें भारतीय ध्वज के प्रति अनादर और बांग्लादेशी नागरिकों के एक वर्ग के भड़काऊ बयान शामिल हैं। होटल संगठन ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य वर्तमान संवेदनशील माहौल में मेहमानों और होटल कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना है। संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया कि एसोसिएशन के सदस्य अगले आदेश तक बांग्लादेशी नागरिकों को होटल में 'चेक-इन' की अनुमति नहीं देंगे।

उत्तर बंगाल में अंतरराष्ट्रीय सीमा और मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाले रणनीतिक रूप से संवेदनशील गलियारे के पास स्थित सिलीगुड़ी, पर्यटक, चिकित्सा और छात्र वीजा पर भारत आने वाले बांग्लादेशी आगंतुकों के लिए एक प्रमुख प्रवेश बिंदु रहा है। एसोसिएशन ने कहा कि इस प्रतिबंध की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और स्थितियां सुरक्षित तथा सम्मानजनक होने पर ठहरने की सुविधाओं को फिर बहाल करने की संभावना पर विचार किया जाएगा।

- पड़ोसी देश में भारतविरोधी गतिविधियों को लेकर सिलीगुड़ी के होटल मालिकों का फैसला कई और शहरों में ऐसे ही प्रतिबंध की तैयारी